



554

माननीय :- राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

श्री विनोद शर्मा

प्र.क...../रिवीजन/2017-18

द्वारा आज दि. 11-06-18 प्रस्तुत प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-06-18

निगरानी-3580/2018/मंदसौर/भू.रा

नियम सपना पति मदनलाल जी जाति - कुमावत,

उम्र - 50 वर्ष , धंधा - कृषि व गृहकार्य

निवासी मोतियाखाई रामटेकरी मंदसौर

.....प्रार्थिया

// बनाम //

1. ज्योति पति संतोष शुक्ला जाति - ब्राहमण
उम्र - 50 वर्ष, धंधा - डॉक्टर
निवासी - शुक्ला कॉलोनी, मंदसौर
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर जिला मंदसौरविपक्षीगण

न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 प्रकरण कमांक 20/अ-12/2017-18 आदेश दिनांक 19/02/2018 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत।

विनोद शर्मा
उपस्थित
11-06-2018

माननीय महोदय,

प्रार्थिया की ओर से पुनरीक्षण का प्रार्थनापत्र निम्नवत प्रस्तुत है -


पुनरीक्षण का सारांश

1. यह कि प्रार्थिया की कृषि भूमि कस्बा मंदसौर में स्थित होकर जिसका खाता कमांक 2104 सर्वे नम्बर 205 / मिन-2 रकबा 0.052 आरी, सर्वे नम्बर 2006 / 2 / मिन -1 रकबा 0.920 आरी सर्वे नम्बर 2007 / मिन-1 / मिन - 2 रकबा 0.053 ,सर्वे नम्बर 2007 / मिन - 2 रकबा 0.053 आरी, सर्वे नम्बर 2009 / मिन -1 रकबा 0.690 आरी, सर्वे नम्बर 2020 / मिन -2 रकबा 0.240 आरी सर्वे नम्बर 2021 / 2 रकबा 1.442 आरी, सर्वे नम्बर 2022 रकबा 0.606 आरी कुल सर्वे नम्बर 08 कुल रकबा 4.056 आरी भूमि कस्बा मंदसौर के ग्राम हैदरवास की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3580/2018/मन्दसौर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.12.18 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	